

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

ना. २१५८८११० वनाम तहसील २०२३/३०८

नांक आज्ञा / कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5.6.25	<p>पजावली पेशे डंड) कमील पार्थी उपस्थित। मूल वाद में अपावगीत के विषय में एक नया कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। कमील पार्थी की पार्थना पर आन्ध्रपी निषेधाज्ञा पर एक पक्षी कक्ष मुग्री गयी। पजावली व पजावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अब लोकर एवं कमील पार्थी द्वारा उक्त पार्थना पर की गयी कक्ष परमात करते के पक्षपात वाद गत मुमि र.सं. 198 रकबा 0.7587 हेमेट विषय गत हीरावाला उर्फ निजप मुकुन्दपुरा तहसील कक्ष के संख. 6 में पार्थी की पार्थना पर आन्ध्रपी निषेधाज्ञा ली जा, निजप जाकर भापलप डाय डिंक 1-11-20 23 को गयी अन्तर्गत आन्ध्रपी निषे धाजा कोडर को वाद के विषय तक अवकाश दिया जाता है एवं उक्त पक्षों को गदिपे आन्ध्रपी निषे धाजा से पाकद दिया जाता है कि उक्त वाद गत मुमि की वाद के विषय वक मुमि एवं रिमाड की</p>	

